भारत में महिला सशक्तिकरण–एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मो0 इमरान आलम*

प्राचीन समय से ही महिलाओं को द्वितीयक श्रेणी का माना जाता रहा। महिलाओं को नगरवधू प्रणाली, पर्दा–प्रथा, दहेज–प्रथा, बाल–विवाह, सति–प्रथा, तलाक, एवं कन्याभ्रूण हत्या जैसे घृणित प्रथाओं का दंश झेलना पड़ा है। लेकिन इसी बीच अनेकों सम्राटों एवं महान् हस्तियों ने इन्हें उच्च दर्जा प्रदान करने हेतु प्रयत्नशील रहे। राजा राममोहन राय ने सति–प्रथा उन्मूलन हेतु ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष किया। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को हक देने की बात समाज के समक्ष रखी और लोगों ने उनके बातों को आत्मसात भी किया। सशक्तिकरण की प्रथम प्रक्रिया में विश्व समाज में व्याप्त पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में परिवर्त्तन लाना होगा। इसी दृष्टिकोण ने महिलाओं को कमतर आँकते हुए अपेक्षा का शिकार बनाया है। वैश्विक स्तर पर नारी वादी आंदोलन एवं स्वयं सेवी संगठनों ने महिलाओं को समाज, न्याय एवं राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ बनाने में अहम भागीदारी अपनाई हैं।

हमारे देश में आजादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किये जाते रहे है। लेकिन, पिछले कुछ वर्षो में महिला सशक्तिकरण की बयार में तेजी आयी है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है मध्यकालीन समाज प्राचीन काल से और आधुनिक समाज मध्यकालीन समाज से तुलनात्मक रूप से विश्व स्तर पर काफी भिन्न है। इसकी गति कभी समान नहीं है। एंथोनी गिडेन्स का कहना है कि लगभग 18 वी शदी में सामाजिक परिवर्तन की गति मानव के इतिहास में सर्वाधिक तेज रही। 20वीं शदी के उत्तरार्ध में सामाजिक परिवर्तन की गति कुछ और तेज हो गयी। विज्ञान और प्रोधोगिकी की तरक्की ने सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आई हैं। महिलाओं में भरता हुआ आत्मविश्वास राष्ट्र व विश्व को अधिक उन्नत करेगा। महिलाओं की महत्ता और गरिमा को परिभाषित करते हुए मनुस्मृति में उद्धृत है कि – यत्रा नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्रा देवताः। यत्रौतास्तु न पूजयन्ते, सर्वास्तत्रााफलाः क्रियाः।।

सशत्तिकरण एक सम्पूर्ण एवं समग्र अवधारण है डा0 सचिदानन्द के कथनानुसार सशक्तिकरण के व्याख्या के क्रम में चार पहलुओं यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवेज्ञानिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखना आवश्यक है, चारो पक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से सामाजिक सशक्तिकरण का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का प्रबल माध्यम माना गया है। राजनीतिक शक्ति से सम्पन्न महिलाएँ अन्य महिलाओं की अपेक्षा सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रबल सहायक एवं वाहक की भूमिका को चरितार्थ करती है। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं की सोच में बदलाव, आत्मविश्वास की क्षमता में वृद्धि तथा दैनिक जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। विश्व में 1990 से 2000 के दशक को महिला दशक के रूप में मनाया गया। वर्ष 2001 को भारत में महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया। 1990 में महिला आयोग की स्थापना, 1996 में राष्ट्रीय महिला नीति की घोषणा, 1997 में सेक्सुअल हटेसमेंट रोकने के निर्देश, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, किशोरी बालिका योजना 1992, महिला समृद्धि योजना 1993, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1994, स्त्री–शक्ति पुरस्कार योजना 2000 प्रमुख योजना है जिसके माध्यम से महिला को सशक्त करने के प्रयास किये गये है।

महिला सशक्तिकरण के संबंध में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिशनर फॉर ह्यूमन राइट्स ने लिखा है कि "यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबलियत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सके"। यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देता है ताकि वे सत्ता के प्रश्न को समझकर सत्ता के स्रोतों पर नियंत्राण कर सके। व्यापक और व्यवहारिक तौर पर यदि महिला सशक्तिकरण का अर्थ तलाशा जाए तो कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्व–सम्पन्न और विकसित होने की सम्भावनाओं के द्वार खुले, नए विकल्प तैयार हो, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिशु पालन, प्राकृतिक संसाधन बैकिंग सुविधाएँ, कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हो।

महिला सशक्तीकरण भागीदारी की प्रक्रिया है, जो घर से शुरू होती है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर सम्पन्न की जाती है। के0 एन0 वाजपेयी (सोशल चेंज : 2000 : 72) का कहना है कि सशक्तीकरण जागरूक

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, भू0 ना0 मंडल, विश्वविधालय, मधेपुरा, बिहार

करने, आर्थिक साझेदारी के लिए क्षमता उत्पन्न करने तथा बड़े से बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया है : जो व्यक्तिगत् और राजनीतिक समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों की शक्ति को बदलना है। रेंडम हाउस शब्दकोश (एस0सी0 अरोड़ा द्वारा उद्धत : 2008 : 33) के अनुसार ''एम्पावमेंट की उत्पत्ति एम्पावर से हुई है जिसका अर्थ होता है 'शक्ति या अधिकार देना' और 'योग्य बनाना' या 'अनुमति देना'। सशक्तीकरण में मूल धारणा निहित है 'योग्य बनाना' और शक्ति देना और वे एक–दूसरे को पुनर्बलन देते है। समिता मिश्रा पांडे (सोशल चेंज : 2000 : 46) ने लिखा है कि व्यावहारिक रूप से सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है, जो प्रचलित असमानता, शक्ति सम्बन्ध को चुनौती देता है और वांछित व्यक्तियों द्वारा शक्ति के स्त्रोंतों पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है।

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदत्त अधिकार :– महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि रूप से सुढ़ृढ़ बनाने की प्रक्रिया को ही महिला सशक्तिकरण कह सकते हैं। वर्णित क्षेत्रों में वे अपना वर्तमान एवं भविष्य को सवारने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत भी है एवं सामाजिक भी यह प्रक्रिया सहयोग पर आधारित है यह लोगो में उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर स्वतन्त्र निर्णय लेने की शक्ति का संचार करती है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में शक्ति संरचना पर नियंत्रण करना, सहभागिता तथा विकास की दिशा को प्रभावित करना, अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, विश्लेशणात्मक योग्यता, जागरूकता में बढ़ोतरी, गतिशीलता में बढ़ोतरी तथा समुदाय के बीच अपनी एक स्पष्ट पहचाना बनाना माना जाता है।

सशक्तिकरण महिला में अशिलता, आत्मविश्वास, अनुकुल स्वदृष्टिकोण तथा जागरूकता का संचार करती है, जिससे निर्णयात्मक प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी संभव हो तथा विश्लेषणात्मक योग्यता द्वारा विकास की दिशा को न केवल नियंत्रण कर सके बल्कि उसकी दिशा को अपने हित में मोड़ने की क्षमता रख सके। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी सरकारों ने महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया है। महिला को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई है, जैसे–बेटी बचाओं, बेटी पढ़ओ, कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना, किशोरी नेपकिन योजना, किशोरी छात्रवृति योजना महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम आदि। आज महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में पुरूष से आगे हो गई है। आज वे सरकार के मंत्री से लेकर भिन्न विभागों में मुख्य पद तक पहुँच गई है, तथा खेलों में भी वे पुरूष के कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अग्रांकित अधिकार का प्रतिपादन भारत सरकार द्वारा किया गया है यथा :–

1. समान वेतन का अधिकार
2. कार्य–स्थल पर उत्पीड़न के विरूद्ध कानून
3. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार
4. संपत्ति पर अधिकार
5. गरिमा व षालीनता का अधिकार
6. शिक्षा का अधिकार
7. राजनीतिक अधिकार

ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों को अधिक से अधिक 89.5 प्रतिशत तक को रोजगार दिया जाता है। कुल कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ सबसे प्रसिद्ध महिला व्यापारिक सफलता की कहानियों में से एक है। 2006 में भारत की पहली बायोटेक कंपनियों में से एक बायोकॉन की स्थापना करने वाली किरण मजूमदार–शॉ को भारत की सबसे अमीर महिला का दर्जा दिया गया था। ललिता गुप्ते और कल्पना मोरपारिया भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को संचालित करती है। अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाओं को उनके नाम पर कोई भी सपंत्ति नहीं मिलती है और उन्हें पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी नहीं मिलता है। महिलाओं की सुरक्षा के कानूनों के कमजोर कार्यान्वयन के कारण उन्हें आज भी जमीन और संपत्ति में अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। वास्तव में जब जमीन और संपत्ति के अधिकारों की बात आती है तो कुछ कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं।

वर्ष 1986 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक वृद्ध और तलाक शुदा मुस्लिम महिला, शाहबानो के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हांलाकि कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का जोर–शोर से विरोध किया और उन्होंने यह आरोप लगाया कि अदालत उनके निजी कानून में हस्तक्षेप कर रही है। बाद में केन्द्र सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम को पारित किया।

पिछले कुछ वर्षों में महिला श्रम सहभागिता में काफी गिरावट आयी है। यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। भारत से अधिक महिला श्रम सहयोग आनुपातिक रूप में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में है। यहाँ महिलाओं की सहभागिता पुरूषों के साथ अधिक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महिलाएँ मात्र 17ः योगदान कर रही हैं। इस कारण भारत की विकास दर में कमी आ रही है। हम अपने विकास के बाधक स्वयं बन रहे हैं। उपलब्ध ऊर्जा की श्रम भागीदारी बढ़ाकर उर्जा की श्रम भागीदारी बढ़ाकर भारत की ळक्च काफी

बढ़ायी जा सकती है। महिलाओं के उन्नति, विकास एवं सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा ही वह उपकरण है, जिसके द्वारा महिला समाज में सशक्त, सम्मानजनक एवं उपयोगी भूमिका अदा कर सकती है। दुनिया के जो भी देश आज समृद्धशाली है, वे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समय–समय पर कई अधिनियम लाए गए है जैसे–अनैतिक व्यापार अधिनियम (1956), दहेज प्रथा अधिनियम (1961), लिंग परीक्षण अधिनियम (1994), बाल विवाह रोकथाम (2006), मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेगेंन्सी एक्ट (1987), समान पारिश्रमिक एक्ट (1976), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (2013) इत्यादि। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, जिसके तहतृ महिलाओं के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान का 73वाँ एवं 74वाँ (1993) संशोधन में पंचायत एवं नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया।

यह सही है कि सरकार द्वारा अपने स्तर पर महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में अनेक प्रयास किए गए है, किन्तु सरकार द्वारा किये गये उपरोक्त वर्णित प्रयास तब तक सफल नही हो सकता जब तक कि धरातल पर पुरूष मानसिकता या पुरूष प्रधान समाज की सोच में बदलाव नही आ जाता। आज भी घटता लिंगानुपात, बालिका भ्रुण हत्या, दहेज उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी, बाल तस्करी जैसी कुरीतियाँ हमारे देश के सामने एक विकट समस्या बनी हुई है। वर्तमान समय में जन–जन तक यह संदेश पहुँचाने की आवश्यकता है कि महिला सशक्तिकरण देश के विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। आज महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनेक परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है।

देश की आधी आबादी कही जाने वाली ये महिलाएँ अब स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं। वे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर पुरूषों के कद्म से कदम मिला रही है। पिछले 10 सालों के आंकड़े बताते है कि इन्होंने अपनी अहमियत दर्शाकर नई पहचान बना ली हैं राजनीति, खेल, शिक्षा, उद्यम सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती ही जा रही है, जो एक सुखद अनुभूति का परिचय है। यह महिलाओं की इच्छा शक्ति और लगनशीलता का प्रतीक है कि आज शहरी महिलाओं के साथ–साथ गांव की महिलाएँ भी अपने पैरों पर खड़ी होकर जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। ये घर के चूल्हे–चौके से लेकर देश–प्रदेश समाज के विकास में हाथ बंटा रही है। समाजिक स्तर पर भी महिलाओं के लिए किये जा रहे प्रयासों से भी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए जन अभियान परिषद द्वारा गठित प्रस्फुटन

समितियां व स्वयसेवी संस्थाएँ प्रयासरत हैं जिसके परिणाम भी अब देखने को मिलने लगे है। यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने में जुटी है। वहीं प्रदेश के कई एन.जी.ओ. और प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से प्रदेश के कोने–कोने में बसे गांवों की महिलाएँ स्वाबलम्बन और स्वरोजगार के प्रति प्रेरित हो रही है, इनके माध्यम से गांवों में स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे है। वर्तमान समय में जन–जन तक यह संदेश पहुँचाने की आवश्यकता है कि महिला सशक्तिकरण देश के विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है।

आज महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनेक परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है। महिला को सशक्त बनाए बिना हम मानवता को सशक्त नही बना सकते। संवेदना, करूणा, वात्सल्य, ममत्व, प्यार, स्नेह, सहनशीलता, विनम्रता आदि नारी के वे गुण है, जिनसे वह मानवता को निखार और संवार कर उसे संपूर्ण एवं सशक्त बना सकती है, इसके लिए यह आवश्यक है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की सम्मानजनक एवं पर्याप्त हिस्सेदारी हो, उन्हें साक्षर बनाया जाए, हर क्षेत्र में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को प्रोत्साहन देते हुए उनकी सुरक्षा, आदर–सम्मान की भावना का संचार सर्वथा हो। उन पर हो रही हिंसा का अंत हो तथा उन्हें शांति के प्रत्येक पहलू एवं सुरक्षा और विकास की अनेकानेक प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाए। हर देश या राष्ट्र को चाहिए की आर्थिक सशकितकरण एवं राष्ट्र विकास की योजनाओं में महिलाओं को केन्द्र में रखा जाए। राष्ट्रों को वार्षिक वजट में 'जेंडर बजटिंग' का प्रावधान लाना चाहिए। हाल के वर्षो में भारत सरकार के द्वारा इसकी पहल की जा चुकी हैं।

संदर्भ सूची :–

1. रजनी पनिक्कर–भारतीय नारी प्रगति पथ पर, दिल्ली नेशनल पब्लिशिंग हाऊस–1970
2. ए0 एस0 अल्तेकर–दी पोजिशन ऑफ विमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन, बनारस–1956
3. चंदना, आर.सी.–जनसंख्या भूगोल।
4. चक्रवर्त्ती, श्री गौरी–स्त्री जाति और सामाजिक शिक्षा, आचार्या समाज सेवा प्रशिक्षण केन्द्र (बिहार) समाज शिक्षा बोर्ड, पटना।
5. मजूमदार, आर.सी.–द0 हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ द इण्डियन पीपुल।
6. वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत (2005)–प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
7. ग्रामीण महिला सशक्तिकरणः कोरेथ जॉर्ज, वडेहरा किरण
8. शर्मा प्रज्ञा (2000) 'भारतीय समाज में नारी' पोइन्अर पब्लिकेश्रानस, जयपुर 2006